International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 11 Issue 12, December- 2021
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018 | **Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015**

समसामायिक भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी एवं स्थिति

डा० पल्लवी संह
असिसटेंट प्रोफेसर- राजनीति विज्ञान विभाग।
श्रीमती दिलवारी देवी किसान कन्या पी0जी0 कॉलेज
चिंगरावठी, बुलंदशहर।

सारांश -प्रस्तुत शोध पत्र में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी , स्वरूप, संवैधानिक अधिकार, मतदाता के रूप में सक्रियता , आलोचना, महिलाओं की वर्तमान राजनीति स्थिति एवं चुनौतियों पर अध्ययन व विचार किया गया है। वर्तमान में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति वैसी नहीं है जैसी बीस साल पहले थी और सुधार पर कार्य किया जाये तो 20 साल बाद वृद्धि स्तर उच्चतम होगा। राजनीति भी समाज में अन्य क्षेत्रों की तरह पितृसत्तात्मक रही है, पुरूष अपने अहंकार के बल पर स्त्रियों को दबाने पर आतुर है। फिर भी महिला जागरूकता , महिला संगठन, और सरकारी सहयोग से आज स्थिति सुधारने की ओर अपनी दिशा चुन रही है। जिसमें कईं महिला संगठन एवं सरकारी योजनायें जागरूकता फैलाने में अग्रसर हैं। शहरों ही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिला उम्मीदवार की संख्या दर्ज हो रही है। इन मिले जुले प्रयासों से भारतीय राजनीति में महिलाओं का उज्जवल भविष्य मुखरित हो रहा है।

शब्द कुंजी - राजनीतिक लैगिंक समानता , महिला राजनेता, पुरूष प्रधान समाज, महिला सशक्तिकरण, सक्रिय राजनीति में महिला भागीदारी , समाज में सुधार , सांसद व पंचायत , महिलाओं के लिये चुनौतियां , योजनायें एवं आंदोलन, मतदान अधिकार, पंचायती राज, शिक्षा में सुधार, समाज और महिला।

परिचय - "राजनीतिक भागीदारी" शब्द स्वयं में बहुत व्यापक अर्थ समाये हुए है। विश्व राजनीति की बात करें अथवा किसी देश विशेष या स्थान विशेष की, राजनीति के अर्थों को जानने के लिये कईं बिन्दुओं पर अध्ययन करना आवश्यक है। राजनीति मात्र वोट लेना-देना , मतदाता व मतदान करने के अधिकार का मुद्दा नहीं है अपितु एक चेतना है , "सामाजिक स्तर" पर कर्तव्य निभाने की यह एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है। राजनीतिक सक्रियता , राजनीतिक चेतना आदि में भागीदारी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी समाज में रह रहें हर एक प्राणी की है।

वर्तमान समाज महिला सशक्तिकरण में पक्ष में पुरजोर कार्य कर रहा है। महिलायें सभी क्षेत्रों में उभरकर अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। हालांकि आंकडों की बात की जाये तो अभी भी उनकी प्रतिशत दर पुरूषों के मुकाबले कम ही है। किन्तु प्राचीन समय से मध्यकालीन समय तक और मध्यकालीन समय से समसामायिक समय तक

महिलाओं की स्थिति में निश्चित रूप से सुधार की स्थिति बनी है। बात यदि भारतीय राजनीति की ही की जाये तो आजादी के साथ ही लैंगिक समानता के पगचिन्ह मुखरित होने लगे थे। यहां भारतीय संविधान को ही ले लिया जाये तो सबसे पहले , लैंगिक समानता के सिद्धान्तों में भारतीय संविधान की प्रस्तावना , मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों और निर्देशक सिद्धान्तों में प्रस्तावित किया गया है। संविधान ने महिलाओं को समानता का दर्जा तो दिया ही है साथ ही उनके पक्ष में भेदभाव दूर करने के लिये राज्यों को सशक्त बनाने के उपायों पर भी कार्य किये है। आज महिलायें घर की चैखट के बाहरए शिक्षाए व्यापारए बैंकिंगए साईंटिस्टए डाक्टर इंजीनियरए खेलकारपोरेट क्षेत्र आदि में अपनी योग्यता पुरूषों के समकक्ष साबित कर चुकी हैं और निरंतर रूप से कर रही है। वर्तमान में महिलाओं को पहले से ज़्यादा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है।

राजनीतिक स्तर पर भी महिलाओं का प्रतिदर स्तर सुधार की ओर बढ़ रहा है। भारत एक संसदीय प्रणाली है जिसमें दो सदन हैं-लोकसभा (निचला सदन) और राज्य सभा (उच्च सदन)।

भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का स्वरूप - एक समय था जब महिलाओं को राजनीति से दूर रखा जाता था क्योंकि यह माना जाता था कि राजनीति कठोर पुरूषों की प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा रही है वहां नरम स्वभाव की स्त्रियों के लिये कोई स्थान नहीं है। समय बदला , सोच बदली और पुरूषों की अहंकारी भावनाओं पर स्त्रियों की सूझबूझ व साहस भारी पड़ने लगा। सदियों से विश्व राजनीति में महिलाओं की भागीदारी अपवाद रही है किन्तु आधुनिक युग में राजशाही के पतन और लोकतंत्र के विकास के साथ , जब सेना और पुलिस बल के आधार पर राजनीति का संचालन कम होने लगा और जनता की राय को विशेष महत्व मिला , तब आम जनता का भी एक वर्चस्व स्थापित हो गया था। यह समय था जब तानाशाह और शक्तिशाली बाहुबली के जबरन एकाधिकार पर आम जनता की राय का वर्चस्व स्थापित होने लगा। धीरे धीरे आम जनता की भागीदारी के साथ-साथ महिलाओं की भागीदारी भी बढने लगी और भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका के लिये महत्वपूर्ण व क्रान्तिकारी कदम उठाये जाने लगे थें। राजनीति में लैंगिक असमानता से निपटने के लिये , भारत सरकार ने स्थानीय सरकारों में सीट के लिये आरक्षण की स्थापना की है। तत्कालीन भारत के संसदीय आम चुनावों के दौरान महिलाओं का मतदान प्रतिशत 65.63 था, जबकि पुरूषांे का मतदान प्रतिशत 67.09 था। आज संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत नीचे से 20वें स्थान पर है। भारत में महिलायें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ-साथ विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री के पद पर भी रह चुकी हैं। भारतीय मतदाताओं में कईं राज्य विधान सभाओं और राष्ट्रीय संसद के लिये महिलाओं को चुना है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के साथ , राजनीति की प्रकृति बदल रही है और जो न केवल भारत के बल्कि पूरे विश्व के लिये अनूठा अनुभव है।

भारत में महिलाओं का संवैधानिक अधिकार - भारत का संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली स्थापित करता है। अपने नागरिकों को निर्वाचित होने , बालेने की स्वतंत्रता, इकट्ठा होने और संघ बनाने और वोट देने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। भारत का संविधान लिंग और वर्ग के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाकार , मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाकर और महिलाओं के निर्वाचित पदों पर आरक्षित करके लैंगिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास करता है।

20वीं सदी की शुरूआत में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलायें काफी हद तक शामिल थीं और उन्होनें ब्रिटेन से आजादी की वकालत की थी। स्वतंत्रता ने संवैधनिक अधिकारों के रूप में लैगिंक समानता ला दी , लेकिन ऐतिहासिक रूप से महिलाओं की राजनीति भागीदारी कम रही है। भारत के इतिहास में आधुनिक काल राजनीति में महिलाओं की भागीदारी से , अधिक महत्वपूर्ण है। रानी-लक्ष्मीबाई , मैड़म बीकाजी, कस्तूरबा, अरूणा आसफ अली, सरोजनी नायडू , सुचेता कृपलानी , विजय लक्ष्मी पंडित , इंदिरा गांधी आदि ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वाधीनता की राजनीति में नंदनी सत्पथी , मोहसिना किदवई , गिरीजा व्यास , सुषमा स्वराज, मायावती, वसुंधरा राजे , शीला दीक्षित , ममता बनर्जी , रेणुका चैधरी , सोनिया गांधी आदि ने सक्रियता दिखाई।

पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका व अधिकार - पिछले 57 वर्षों में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने व लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने और महिलाओं की बढ़ती चेतना के परिणामस्वरूप प्रयास किये जाते रहें हैं। पंचायत समिति और जिला परिषद में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिये आरक्षित की गयी है। प्रत्येक पंचायत में देश की 250,000 पंयाचतों में एक तिहाई महिला पंचायती महिला सदस्य हैं।

भारतीय राजनीति में मतदान के लिये महिला भागीदारी एवं सक्रियता - भारतीय संविधान में 1950 में अधिकारिक तौर पर महिलाओं और पुरूषों को मताधिकार प्रदान किया गया। सार्वभौमिक मताधिकार से पहले , प्रान्तीय विधायिकाओं का वोट देने का अधिकार दिया था।

मद्रास 1921 में महिलाओं को मताधिकार देने वाला पहला राज्य था। लेकिन केवल उन पुरूषों और महिलाओं को जिनके पास ब्रिटिश प्रशासन के रिकार्ड के अनुसार भूमि संपत्ति थी। किन्तु 1950 में परिवर्तन हुआ और सभी व्यस्कों (भारतीय नागरिक) को सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया। अब गरीब व निचले तबके का नागरिक मताधिकार के अंतर्गत आता था। 1950 में सार्वभौमिक मताधिकार ने सभी महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में निहित है। 1962 में लोकसभा चुनावों में महिलाओं की भागीदारी दर 46.63 प्रतिशत थी और सन् 1984 में बढकर 58.60 प्रतिशत हो गयी। इसी अवधि के दौरान पुरूष

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 11 Issue 12, December- 2021
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018 |**Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015**

मतदान 63.31 प्रतिशत से 68.18 प्रतिशत थी। समय के साथ पुरूष और महिला मतदाताओं के बीच अंतर कम हुआ है। 1962 में 16.7 प्रतिशत का अंतर था और 2009 में यह 4.4 प्रतिशत रह गया। 1980 और 2014 के बीच, महिला मतदाताओं की संख्या में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सन् 1980 में महिला मतदाताओं की संख्या 51 प्रतिशत थी, 2014 में यह बढकर 66 प्रतिशत हो गयी। 1990 से यह संख्या निरंतर बढ़ती रही और 2014 के लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक महिला मतदान हुआ।

भारतीय संससद में महिलाओं की स्थिति - महिलाओं के लिये वर्तमान संसद स्थिति देखें तो यह कहा जा सकता है कि भारत में पहले से वृद्धि हुई है। किन्तु व्यापक स्तर पर बात की जाये तो भारतीय संसद में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम स्तर पर दर्ज है। निराशाजनक स्थिति में मंत्रालयों में महिला मंत्रियों की संख्या का अनुपात निम्न रेखा पर ही माना जा सकता है। भारत में स्वतंत्रता के बाद पहली केन्द्र सरकार (जवाहर लाल नेहरू की सरकार) में जिनके पास 20 केबिनेट मंत्रालयों में केवल एक महिला (राजकुमारी अमृत कौर) थी , जिन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रभार दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में महिला का किसी मंत्रालय में भागीदारी व स्थान नहीं था। यहां तक कि इंदिरा गांधी की 5वीं, 6वीं व 9वीं कैबिनेट में एक भी महिला केन्द्रीय मंत्री नहीं थी। राजीव गांधी के मंत्रीमंडल में केवल एक महिला (मोहसिना किदवई) को शामिल किया गया था। इसी लम्बे चलते क्रम में पहली बार सुधार की स्थिति मोदी सरकार के 2014 में, कुल नौ महिला सांसदों को कैबिनेट और राज्य मंत्री बनाये गये। 16वीं लोकसभा में 61 महिला उम्मीदवार जीती हैं। वर्तमान में 2019 की मोदी सरकार में कुल 82 महिलायें लोकसभा में सदस्य हैं , जोकि भारत के 70 से अधिक वर्षों के चुनावी इतिहास में महिला सांसदों की अधिकतम संख्या है।

समकालीन भारतीय राजनीति में महिला राजनेताओं पर व्यंगात्मक आलोचना - सक्रिय राजनीति के स्तर पर दृष्टि की जाये तो विभिन्न पार्टियों द्वारा महिलाओं को टिकट मिलना तथा उनको प्रोत्साहन देना वर्तमान में प्रायः देखा जा सकता है। किन्तु सामाजिक तौर पर व्यापक दृष्टि की जाये तो हम पाते हैं कि महिला निर्वाचन के लिये समाज अभी भी उदासीन है। कईं अध्ययन में पाया गया है कि समाज आज भी राजनीति में महिलाओं के लिये तैयार नहीं है। उदाहरण के तौर पर प्रथम टिप्पणी यही की जाती है कि औरतें घर-बार , रोटी-चूल्हा और परदे में रहे तो मर्यादा है, राजनीति में आये तो अमर्यादा व अनुशासनहीनता। राजनीतिक इतिहास में भी विरोधी पार्टी द्वारा महिला राजनेताओं पर निजी टीका टिप्पणी से उनका हौंसला तोडने का प्रयास किया जाता रहा है। जैसे - प्रियंका गांधी को उनके रंग, संस्कृति व पोशाक पर समय समय पर निंदा की गयी। वहीं शरद यादव ने सरेआम वसुंधरा राजे पर शारीरिक हास्य उडाते हुए उन्हें मोटा कहकर राजनीति से आराम लेने की सलाह दी। इसी प्रकार ममता बनर्जी ,

मायावती, सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी आदि कईं महिला राजनेता को ऐसी टिप्पणियों का सामना करना पडता रहा है। किसी भी स्तर पर विफलता का सहरा उनकें लिंग भेद के कोण पर बांधा जाता है। तर्क दिया जाता है कि महिला उम्मीदवार विरोधी उम्मीदवार से प्रायः हर तरह से कमजोर है, जीतने की सम्भावना न के बराबर है। इस प्रकार राजनीतिक व सामाजिक स्तर पर महिलाओं का साहस तोड़ना सदैव देखा गया है। दयनीय स्थिति यह है कि जीतने पर भी उन्हे क्रूर कटाक्षों का सामना करना पडता है जैसे -महिलायें राजनीति व परिवार में संतुलन नहीं बना पाती, जीतने के बाद भी उन्हें महिला-विभाग , बाल-विभाग, संस्कृति-विभाग जैसे क्षेत्रों तक ही सीमित रखा जाता है और यदि विशेष कारणों से कोई मुख्य विभाग दे भी दिया जाता है तो उसको अयोग्य बताकर हटाने की मांग निरंतर विपक्षी दलों एवं समाज के मिथ्या ठेकेदारों द्वारा की जाती है।

भारतीय राजनीति में महिलाओं के लिये चुनौतियां एवं बाधा - इस पुरूष प्रधान समाज में आदि काल से ही महिलाओं को अपने अधिकारों के लिये लड़ना पडा है, जिसमें असीमित कठिनाइयों एवं चुनौतियों से उनका सामना होता रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की क्रान्ति में भी महिलाओं की यह जंग अनवरत रूप से जारी है। राजनीति के क्षेत्र में इस पित्सत्तात्मक समाज में महिलाओं को प्रायः पुरूषों से हीन दर्जा दिया जाता है। यह मानसिकता समाज में गहराई तक समाई हुई है और महिलाओं की राजनीति में नेतृत्व एवं भागीदारी की क्षमता पर लोगों की सोच को प्रभावित करती है। इसमें निम्न बिंदुओं को मुख्य रूप से महिलाओं के लिये चुनौतिपूर्ण माना गया है-

S पितृसत्तात्मक मानसिकता।
S सामाजिक मानदंड और रूढिवादिता।
S शिक्षा का अभाव।
S राजनीतिक दलों में सीमित प्रतिनिधित्व।
S हिंसा और यौन उत्पीडन।
S असमान अवसर।
S संरचनात्मक बाधायें।

भारतीय राजनीति के भविष्य में महिला स्थिति के सुधार हेतु सुझाव - आज भारत की बेटी, बहु व मां लगभग प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति की ओर कदम बढ़ा रही हैं। आये दिन एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। ज्वलंत उदाहरण ले लिया जाये तो अन्त्रतराष्ट्रीय खेल हों या चांद पर भेजा गया चंद्रयान- 3 में महिला भागीदारी वंदनीय है। ऐसे में राजनीति स्तर पर भी आशा की किरण तो चमक रही है किन्तु उसे प्रकाशमान करने के लिये भारतीय सरकार को

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 11 Issue 12, December- 2021
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018 |Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015

महिला प्रतिनिधित्वों के हित में मजबूत एवं बलपूर्वक कदम उठाने चाहिये।

S सीटों पर आरक्षण।

S राजनीतिक दलों द्वारा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।

S शिक्षा और प्रशिक्षण में अधिक जटिलता।

S स्थानीय महिला नेताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

S राजनीति में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा पर सख्त कार्यवाही।

S समाजिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर सुधार।

निष्कर्ष - प्रस्तुत शोध में भारत की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी, स्थिति एवं सुधार आदि सभी पक्षों पर चर्चा की गयी है जिसमें देखा गया है कि महिलाओं के प्रति सरकार अब उदासीनता दूर करने के लिए प्रयास कर रही है और समाज भी जागरूक हो रहा है। किन्तु कुछ स्थितियां आज भी चिंतन करने योग्य हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है और महिलाओं की भागीदारी में अधिकारों को ओर अधिक सुदृढ बनाना होगा। वर्तमान में चल रहे कईं अभियानों द्वारा सरकार ने महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण को नईं ऊचाईंयां दी हैं। राजनीति में भी पहले की तुलना में काफी सुधार एवं नियमों का गठन किया जा रहा है। चाहे वह पंचायती स्तर पर हों अथवा संसदीय स्तर पर। भविष्य की राजनीति में बढ़ती महिलाओं की भागीदारी न सिर्फ राजनीति में क्रान्ति होगी बल्कि समाज में भी उत्थान का जयघोष होगा।

संदर्भ ग्रंथ सू च

1- VermaSudhir (1947), “Women’s struggle for political space”-Jaipur Rural Publication.

2- Reyond Andrew (1999) “Women in Legislative and effective of the world.”

3- Government of India “The constitution of India” Ministry of Law and Justice. Retrived 22th March 2014.

4- Constitution of India/Legislative Department. Ministry of Law and Justice-2023-2-20.

5. ”भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास ”‘-चोपडा, पी0ए0एन0 पुरी -दिल्ली मैकमिलन इंडिया लिमिटेड-पृष्ठ 259, 265।

6. ”महिला और मानवाधिकार” जयपुर’-ज्योति प्रकाशन-अंसारी।

7. वीकीपीडिया।

8- Mishra, H.N. (2001) The Govt. of India ACT 1919 Rules There under and Govt. reports 1920,-Wikipedia.

9-Statewise Voter (Turnout in General Election-Government of India. 2014)